

मध्यप्रदेश शासन  
वित्त विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक एफ-1(ए)/2/2017/ई/चार,  
प्रति

भोपाल, दिनांक 04/05/2017

श्री शिवराम सरवर,  
उप संचालक  
संचालनालय, खेल एवं युवक कल्याण  
भोपाल (म.प्र.)।

विषय:- एक पक्षीय कार्यमुक्त करने बाबत।

संदर्भ:- वित्त विभाग का आदेश क्रमांक एफ-1(ए)/2/2017/ई/चार, दिनांक  
25.4.2017

-----0-----

संदर्भित आदेश द्वारा आपको संचालनसालय, खेल एवं युवक कल्याण भोपाल से संयुक्त संचालक, मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद्, भोपाल में पदस्थ किया गया है। परन्तु आपके द्वारा नवीन पदस्थापना स्थल पर आज दिनांक तक कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है। अतः आपको उक्त आदेश के पालन में दिनांक 04/05/2017 अपराह्न से एकपक्षीय कार्यमुक्त किया जाता है। तथा आपको निर्देशित किया जाता है कि आप नवीन पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण कर पालन प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

( विजय कटाने )

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

भोपाल, दिनांक 04/05/2017

पृ.क्रं. एफ-1(ए)/1/2017/ई/चार

प्रतिलिपि :-

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खेल एवं युवक कल्याण/पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय,
2. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग के निज सचिव,
3. आयुक्त, कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश भोपाल,
4. आयुक्त/संचालक, रोजगार गारंटी परिषद्/खेल एवं युवक कल्याण, भोपाल,  
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग